तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/**2461-डीबी**

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथिः 10 अप्रैल,2023</u>

रि.या.(सि.) 4365/2023, सि.वि.आवे.16828/2023

बिरेंदर सिंह ...याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री नौशाद आलम और श्री संदीप कुमार पाठक, अधिवक्तागण|

बनाम

भारत का संघ व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री नीरज, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के साथ श्री वेदांश आनंद, अधिवक्ता और श्री हेमेंद्र सिंह, उपायुक्त(विधि), सी.सु.ब.|

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायाधीश सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय (*मौखिक*)

<u>सि.वि.आ. 16829/2023 (छूट की मांग)</u>

1. न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन अनुमति प्रदानित है|

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>रि.या.(सि.) 4365/2023</u>

3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की है जिसमें निम्नलिखित राहत की माँग की गई हैः-

"(I) प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 को "वीआरएस के वापस लिए गए नोटिस" दिनांकित 10.01.2023 (अनुबंध-पी/2) को स्वीकार करने और दिनांक 30.10.2022 (अनुबंध-पी/एल) के वीआरएस के नोटिस को रद्ध करने का आदेश करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट या अन्य उपयुक्त रिट या आदेश या निर्देश जारी किया जाए; या

(II) प्रत्यर्थीगण को के "वीआरएस के वापस लिए गए नोटिस" दिनांकित 10.01.2023 पर सहानुभूतिपूर्ण रूप से विचार किया जाए और एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट या अन्य उपयुक्त रिट या आदेश या निर्देश जारी किया जाए; और

(III) कोई अन्य या आगामी आदेश या आदेशों को पारित किया जाए जो इस माननीय न्यायालय को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित लगे और न्याय के हित में हो|"

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान याचिका में माँगी गई राहतों के लिए याचिकाकर्ता पहले से ही दो अभ्यावेदन दिनांक 06.02.2023 और 14.03.2023 को दे चुका है| हालांकि, इसका फैसला प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किया गया है|

5. तदनुसार, हम वर्तमान रिट याचिका के निपटान के साथ प्रत्यर्थीगण को एक तर्कसंगत आदेश के साथ याचिकाकर्ता के उपरोक्त दो अभ्यावेदनों पर आज से चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने हेतु और उसके पश्चात एक सप्ताह के भीतर लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को देने के लिए निर्देशित करते हैं|

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी प्रत्यर्थी के निर्णय से व्यथित है तो वह उचित न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दे सकता है|

7. याचिका का तदनुसार निपटान किया जाता है|

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है|

(सुरेश कुमार कैत)

न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायाधीश

10 अप्रैल, 2023/वीए

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/**2461-डीबी**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*